

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
जनहित याचिका संख्या – 7/2026

राम लखन

...याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, पशुपालन, लखनऊ एवं 4 अन्य

... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – सूर्य प्रकाश

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता :- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, दिलीप कुमार पाण्डेय

न्यायालय संख्या – 1**माननीय न्यायमूर्ति राजन रॉय****माननीय न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी**

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सूर्य प्रकाश और राज्य प्रतिवादियों की विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता सुश्री ईशा मित्तल को सुना।
2. विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता सुश्री ईशा मित्तल को अब इस आशय के निर्देश प्राप्त हुए हैं कि गौशाला बंद कर दी गई है और सभी 98 गायों को ग्राम पंचायत- कादीपुर सानी, जिला- लखीमपुर खीरी में स्थानांतरित किया जा रहा है, जो वर्तमान गौशाला से लगभग 10 किलोमीटर दूर है, जहाँ एक स्थायी गौशाला का निर्माण पहले ही हो चुका है। वर्तमान गौशाला, जहाँ इन 98 गायों को रखा गया था, वास्तव में उत्तर प्रदेश सहकारी संघ लिमिटेड की भूमि पर निर्मित थी और एक अस्थायी गौशाला थी। उक्त उत्तर प्रदेश सहकारी संघ लिमिटेड ने भी भूमि खाली करने का अनुरोध किया है। सुश्री ईशा मित्तल ने आगे कहा कि इसके अतिरिक्त अन्य गौशालाएं भी हैं जो वर्तमान स्थान से मात्र 6 और 8 किलोमीटर दूर हैं।
3. याचिकाकर्ता को यह स्वतंत्रता है कि वह गायों को कादीपुर सानी स्थित उक्त गौशाला में स्थानांतरित किए जाने के बाद, उक्त गौशाला में जाकर गायों की स्थिति देख सकता है और यदि कोई हेतुक हो तो वह पुनः न्यायालय

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

के समक्ष उपस्थित हो सकता है।

4. उपरोक्त स्वतंत्रता के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

5 फरवरी, 2026

अर्णिमा

(न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी) (न्यायमूर्ति राजन रॉय)

Translated version. Not for legal use.